भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3741

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन

3741. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन (ईआईए) अधिसूचना के अनुपालन के संदर्भ में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की खानों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ईआईए अधिसूचना के अनुपालन में सीआईएल की खानों द्वारा कौन से विभिन्न उपाय किए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी खानों का संचालन पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के अनुसार किया जाता है।

(ख) : ईआईए अधिसूचना के अनुपालन में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सीआईएल की खानों द्वारा निम्नवत विभिन्न उपाय किए गए हैं :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा यथा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को सभी खानों/परियोजनाओं में प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया गया ताकि प्रदूषण कम किया जा सके, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके तथा पारिस्थितिकी और जैव-विविधता को बहाल किया जा सके।

2. लागू होने वाली सभी पर्यावरणीय अनापत्ति और वन संबंधी अनापत्ति शर्तों तथा अन्य सांविधिक शर्तों, जिन्हें विनियामक एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है, का अनुपालन किया जाता है।

3. प्रत्येक खान के लिए छमाही आधार पर अर्थात 30 सितम्बर तथा 31 मार्च को पर्यावरण अनुमति की अनुपालन रिपोर्ट एमओईएफसीसी (नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय दोनों को) को भेजी जाती है।

4. पर्यावरणीय मानीटरिंग रिपोर्ट भेजना: सभी प्रचालनरत परियोजनाओं की पर्यावरणीय मानीटरिंग, पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियमावली, 2000 (25 सितम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र में असाधारण अधिसूचना - कोयला खानों के लिए मानक) के अनुसार एमओईएफसीसी द्वारा अनुमोदित एजेंसी सीएमपीडीआई द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।

5. पर्यावरणीय विवरण भेजना: सभी प्रचालनरत खानों का पर्यावरणीय विवरण वार्षिक आधार पर निर्धारित समय के भीतर अर्थात 30 सितम्बर से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजा जाता है।

*****